निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 04/2017 निर्णय दिनांकः–21.12.2020

1. मूलचन्द उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री श्योकरण जाति मेघवाल निवासी श्योपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुझुनूं(राज0)

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत अडुका तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं(राज0)

–––––रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़

–––––प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगण – श्री भंवरसिंह परमार
प्रतिवादीगण –

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 25.05.2017 बाबत नामान्तरण संख्या 1007 ग्राम अडुका द्वारा अस्वीकार करने के विरूद्व

निर्णय

संक्षेप में तथ्य वाद इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम अड़ूका की खसरा नं0 485 रकबा 0.7700है0, ख0नं0 486 रकबा 0.3800है0, खसरा नं0 493 रकबा 0.1700है0, खसरा नं0 494 रकबा 0.1500है0 किता 4 कुल रकबा 1.47है. मे से खातेदार औमप्रकाश का कुल हिस्सा 1/3 व खसरा नं0 491 रकबा 0.2300है0, खसरा नं0 492 रकबा 0.4300है0, खसरा नं0 495 रकबा 0.4300है0 किता 3 कुल रकबा 1.0900है0 मे से औमप्रकाश खातेदार का हिस्सा 1/10 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से उप पंजियन सूरजगढ़ के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 269 पृ0 संख्या 190 प्र0सं0 109 पर दिनांक 13.01.2016 को पंजीबद्व करवा कर क्रय किया था जिस क्रय के आधार पर अपीलान्ट ने नामान्तरण दर्ज करवाने बाबत् आवेदन देने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 1007 दिनांक 03.04.2017 को भरा गया तथा दिनांक 02.05.2017 को ग्राम सेवक अड़ूका द्वारा अंकन को सही होना अंकित किया तथा दिनांक 05.05.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत अड़ूका द्वारा नामान्तरण संख्या 1007 दिनांक 03.04.2017 को इस नोट के साथ अस्वीकार किया कि – विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी पत्नी ने दि है कि हमारा विवाद [?] है इसलीय यह अन्तकाल [?] अस्वीकार किया जाता है– विक्रेता औमप्रकाश की पत्नी द्वारा किसी भी प्र[illegible] आपत्ती पेश नहीं की गयी है। महज अपीलान्ट अनुसूचित [illegible] को हैरान व परेशान करने की गरज से अस्वीकार किया गया है। इसलिये सरपंच ग्राम पंचायत अड़ूका का [illegible] खिलाफ कानून व विधि विरूद्व है। अपीलान्ट को [illegible] उक्त क्रयशुदा भूमि के उपयोग [illegible] उपभोग व भूमि के अपने अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करने के उदेश्य से नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तस्दीक नहीं किया गया है जो कि सरपंच ग्राम पंचायत अडूका का आदेश खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध है।

अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर सरपंच ग्राम पंचायत अडूका का आदेश/नोट दिनांक 05.05.2017 को अपास्त किया जाकर नामान्तरण संख्या 1007 दिनांक 03.04.2017 को तस्दीक करने बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत अडुका या रेस्पोडेन्ट नंबर 2 को आदेशित फरमाया जावे व हर्जा खर्चा अपील अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से दिलवाया जावें। अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तारीख की सूचना दी गयी। रेस्पोडेन्ट नं0 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 की तरफ से वकील उपस्थित आया जिसने कोई जवाब पेश नहीं किया। इसके पश्चात बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अपीलान्ट व प्रस्तुत दस्तावेजात से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत अडूका का आदेश नामान्तरण संख्या 1007 दिनांक 05.05.2017 को अपास्त किया जाकर खसरा नं0 485 रकबा 0.7700है0, ख0नं0 486 रकबा 0.3800है0, खसरा नं0 493 रकबा 0.1700है0, खसरा नं0 494 रकबा 0.1500है0 किता 4 कुल रकबा 1.47है. मे से खातेदार औमप्रकाश का कुल हिस्सा 1/3 व खसरा नं0 491 रकबा 0.2300है0, खसरा नं0 492 रकबा 0.4300है0, खसरा नं0 495 रकबा 0.4300है0 किता 3 कुल रकबा 1.0900है0 मे से औमप्रकाश खातेदार का हिस्सा 1/10 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से उप पंजियन सूरजगढ़ के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 269 पृ0 संख्या 190 प्र0सं0 109 पर दिनांक 13.01.2016 को पंजीबद्ध करवा कर क्रय किया था के आधार पर पुनः नामान्तरण तस्दीक करने के लिये तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner